



न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगर

प्रकरण : संख्या - 8/20 शीर्षक ... कैंलाश ... बनाम ... रतन ...
(2020/00024)

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	<p>22/01/2026 पत्रावली पेडा, बायीं बधि बनु। न्यायालय सहायक से बार-बार आवेजि सगवायी गार्ड किंतु कोर्ड उप नही। न हीजेके ठामि न बह संव्य उप। जिससे प्रादी का धावा अडम हाजरी अडम पेंवी में बरिज किया जाता है पत्रावली कैंसलशुमार बर नकर से कम है। आदेश जुवे न्यायालयमें सुनाया गया।</p>
	8
	सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगर